अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 30.10.12 का कार्यवाही विवरणः–

कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

बैठक संख्याः–18

दिनांकः–30.10.2012
वार :– मंगलवार
समयः– प्रातः– 11.00 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 30.10..2012 प्रातः 11.00 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्षा श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

	नाम सदस्य		अधिकारी गण	
1.	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य	1. श्री सत्यनारायण आचार्य	आयुक्त एवं सदस्य सचिव
2.	श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य	2. श्री चतर सिंह चौहान	सहायक अभियंता
3.	श्रीमति अर्चना शर्मा	सदस्य	3. श्री करीमुद्धीन	सर्वेयर
4.	श्री महोम्मद खलील	सदस्य	4. श्री सिराजुद्धीन	सर्वेयर
5.	श्री मुस्लिम अली बंदुकवाला	सदस्य		
6.	श्री दुर्गेश जी	सदस्य		
7.	श्री राजेश जी जैन	सदस्य		

सर्वप्रथम समिति अध्यक्षा श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया ओर समस्त सदस्यो द्वारा दिनांक 21.9..2012 की बैठक संख्या 17 की पालना रिपोर्ट हेतू सम्बन्धित अधिकारियों से पूछा गया। जिसमें पूर्व में लिये गये निर्णयों की कोई पालना नहीं हुई जिस पर सदस्यों ने रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समिति के निर्णयों की पालना नहीं होती है तो समिति की बैठक बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। जिस पर सम्बन्धित शाखा के कर्मचारियों से पुछने पर बताया गया कि जे.ई.न द्वारा राशि की गणना नहीं की गई है। अतः मांगपत्र जारी नहीं किये गये तथा दो प्रकरण अतिक्रमण शाखा से सम्बन्धित है। जिसमें एक प्रकरण पर भवन को पुनः सीज करना था, वह नहीं किया गया तथा एक प्रकरण में भवन को सीजमुक्त किया गया। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस प्रकरण में भवन को पुनः सीज करना था और नहीं किया है इसमें जिस अधिकारी की लापरवाही है उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जावे तथा जिन पत्रावलियों में राशि की गणना नहीं की है उनमें सम्बन्धित जे.ई.न 5 दिन के अंदर गणना कर पत्रावलियां सम्बन्धित शाखा में भिजवावे। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आंरभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया गया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामांनतरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया गया। समिति सदस्यों द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 30.10.12 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निणर्य
1.	भ.अ/21/11–12 781, पुराना नया 41, भोईवाडा, सिमेंट रोड, उदयपुर	श्री इन्द्र लाल खलुडिया पिता स्व. माणक लाल खलुडिया	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 7.6.2011 को भूतल + दो मंजिल बिना निकासू के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध मौके पर भूतल एवं प्रथम तल में दुकान प्रारंभ कर व्यवसाय किया जा रहा है एवं द्वितिय, तृतीय एवं चतुर्थ तल मय निकासु के भवन बनाया गया है। सामने की तरफ मात्र 14′–0′′ चौडी सडक स्थित है। स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण नगर परिषद् द्वारा सीज किया हुआ है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भूतल + दो मंजिल आवासीय बिना निकासू के स्वीकृति दी गई थी। परन्तु प्रार्थी द्वारा मौके पर भूतल + चार मंजिल का निर्माण कर रखा है उक्त निर्माण नियमन योग्य नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किया जावे तथा चौथी मंजिल को गिराने के आदेश दिये जाते है। तृतीय तल बिना स्वीकृति के निर्माण किया है। उसे भी सीज किया जावे।
2.	भ.अ/26/12–13 मकान नं. 18, कुमावतपुरा, नाडा खाडा, उदयपुर	श्रीमति सोहन देवी जैन पति जालमचंद जैन एवं श्री जालमचन्द जैन पिता नाथू लाल कोठारी	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने भूतल एवं प्रथम तल पर आवासीय निर्माण कर रखा है। प्रार्थी को पूर्व में भूतल की स्वीकृति नगर परिषद् द्वारा दी गई है। प्रार्थी ने प्रथम तल बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है एवं निकासु बंद भी बनाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रथम तल पर बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा निकासू रचना की शास्ती डी एल सी दर की 20 प्रतिशत से लेते हुए नियमन किया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 30.10.12 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निणर्य
3.	भ.अ/139/09–10 पाठों की मगरी, सुभाषनगर, बी.एन कॉलेज के सामने, उदयपुर	श्री मनोज कुमार सिंघल एच.यू.एफ पिता श्री प्रेम शंकर	प्रार्थी को पूर्व में बेसमेंट पार्किंग एवं भूतल की व्यवसायकि स्वीकृति जारी की गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निर्माण किया गया एवं प्रथम व द्वितिय तल सेट बेक को मिलाते हुए मय निकासु के निर्माण किया गया है। प्रार्थी पुरा भवन वाणिज्यिक बनाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रथम एवं द्वितिय मंजिल का निर्माण बिना स्वीकृति के किया है। जिसकी प्रथम तल की शास्ती लागत की 7.5 प्रतिशत से तथा द्वितिय तल की शास्ती व्यवसायिक आरक्षित दर से तथा बेसमेंट भूतल, प्रथम तल के सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती व्यवसायिक आरक्षित दर से तथा पार्किंग की कमी की राशि 50000/– रूपये प्रतिकार से वसूल करते हुए नियमन किया जाता है।
4.	भ.अ/53/11–12 प्लाट नं. 3, हिरण मगरी से नं. 3, उदयपुर	मेसर्स गेटवे स्पेस रियलटर्स प्रा.लि. डायरेक्टर श्री पदम कुमार पहलवानी पिता श्री बालचन्द पहलवानी	मौके पर तलघर, भूतल + दो मंजिल स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य होना पाया गया। पूर्व में दी गई स्वीकृति के अलावा निकासू अतिरिक्त बना पाया गया। जो कि भवन विनियम 2011 पेज संख्या 31 के बिंदु संख्या 9 के अनुसार आर्किटेक्चरल एलिमेंट जिसका उपयोग केवल सुन्दरता बढाने के लिये किया गया हो बनाया जा सकता है। जिसका उपयोग किसी ओर में नहीं लिया जावे। अतिरिक्त निकासू को टेपर्ड कर एलिवेशन सुन्दर बनाने हेतू टेपर्ड किया गया। सेट बेक पूर्व में दी गई स्वीकृति अनुसार ही छोडा गया है। तृतीय तल निर्माण हेतू सिर्फ आर.सी.सी के पिल्लरों का ही निर्माण होना पाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की चर्चा के उपरान्त भवन की जानकारी हेतू भवन अनुमति समिति अध्यक्षा डॉ किरण जैन को बुलवाया गया उनके द्वारा उक्त भवन स्वीकृति अनुसार ही बना बताया गया तथा तृतीय तल पर सिर्फ पिल्लर का निर्माण किया गया है।अतः इसे सीज मुक्त कर बने हुए पिल्लर की शास्ती नियमानुसार जो बनती है वो ले ली जावे। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त बिल्डिंग को सीज मुक्त किया जावे तथा तृतीय तल पर पिल्लर का निर्माण कर रखा है उसकी लागत का 7.5 प्रतिशत से शास्ती वसूल करते हुए प्रकरण को तृतीय तल की स्वीकृति हेतू प्रशासनिक समिति में रखा जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 30.10.12 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निणर्य
5.	भ.अ/111/12–13 22, हिरण मगरी से नं. 6, उदयपुर	जे.बी हॉस्पीटल एण्ड मेडिकोज डॉ शंकर लाल भाणुदा पिता जीवराज भाणुदा एवं डॉ विजय लक्ष्मी भाणुदा पत्नी शंकर लाल भाणुदा	मौके पर तलघर,भूतल प्रथम तल, द्वितिय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल एवं पंचम तल (भाग) बना हुआ है तथा ऊपरी मंजिलों में निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त क्षैत्र में पूर्व में नगर विकास प्रन्यास द्वारा जे.बी हॉस्पीटल एवं मेडिकल रिसर्च प्रा.लि. के नाम से तलघर, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितिय तल तक के निर्माण की स्वीकृति निर्धारित सेट बेक दोनों सडक की ओर 20′–0′′ – 20′–0′′ व दोनों तरफ 10′–0′′ – 10′–0′′ फीट छोडते हुए दी गई थी तथा उत्तरी पूर्वी कौना 40′–0′′ रेडियस में कौना गोल करते हुए निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी द्वारा पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध किये गये निर्माण को नियमन कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। पूर्व में इस बिल्डिंग को सीज करने के आदेश थे तब प्रार्थी ने शपथ पत्र देकर निवेदन किया था कि वह आगे निर्माण नहीं करेगा। समिति के मौका निरीक्षण के समय निर्माण कार्य चालू पाया गया। अतः समिति सदस्यों तथा अधिकारियों से चर्चा के बाद सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त बिल्डिंग में अनाधिकृत निर्माण को सीज किया जावे तथा सीज के वक्त विडियोग्राफी करवाई जावे।
6.	भूखंड संख्या 108, हिरण मगरी से न. 11	श्री हिमांशु शर्मा पिता श्री वी.एन शर्मा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण / लीज डीड हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति मोहनी देवी पति नारायण लाल शर्मा के नाम पर है, प्राथीं ने उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने सेट बेक में एवं बिना स्वीकृति के निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन कराना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा भवन रेखा के मध्य बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 30.10.12 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निणर्य
7.	भूखंड संख्या 103, सेन्ट्रल एरिया, उदयपुर	श्री दलीचन्द पिता श्री लालू जी रावल एवं श्रीमति रतन देवी पति श्री दलीचन्द रावल	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री सुरेन्द्रपुरी गोस्वामी पिता श्री सज्जनपुरी के नाम पर है, प्राथीं ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। सर्वेयर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने गैराज की जगह कमरे का निर्माण कर लिया है तथा आगे व पीछे के सेट बेक में आंशिक निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन कराना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा गैराज को कमरे में परिवर्तित कर दिया गया उसकी शास्ती 5000/– रूपये तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
8.	260 प्रतापनगर, उदयपुर	श्री अंबा लाल पिता श्री उदय लाल खटीक	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री चुन्नी लाल पिता राम लाल के नाम पर है, प्राथीं ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध भूतल में पीछे के सेट बेक में टॉयलेट,सिढी, स्टोर आदि बनाया एवं सामने के सेट बेक में प्रार्थी ने गैराज सिढी आदि बनाई व सेट बेक में निकासू का भी निर्माण किया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 30.10.12 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निणर्य
9.	भूखंड संख्या 408, भूपालपुरा, उदयपुर	श्री दलपत सिंह बोल्या एवं श्री यशवंत कुमार बोल्या	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति आमंत्रण की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अर्जुन लाल एवं श्री मनोहर लाल ओस्तवाल के नाम पर है, प्राथीं ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध भूतल एवं प्रथम तल में साईड सेट बेक में निर्माण किया गया है एवं भूतल में भी कुछ कमरे आदि बिना स्वीकृति के बनाये गये एवं प्रथम तल बिना स्वीकृति के बनाया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बिना स्वीकृति निर्माण के शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
10.	भूखंड संख्या 5/131, बापू बाजार वराण्डा शॉप	श्री जयराज पहलवानी पिता श्री बालचंद	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के लीज डीड हेतू आवेदन किया है। वर्तमान में रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री जय राज पहलवानी के नाम पर है,। पूर्व में प्रार्थी को भूतल एवं प्रथम तल की ही स्वीकृति दी गई थी प्रार्थी ने स्वीकृति के विपरित प्रथम तल में निकासू बंद बनाया गया एवं सेकण्ड फ्लोर एवं थर्ड फ्लोर मय बंद निकासु के एवं बिना स्वीकृति के निर्माण किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निकासू की शास्ती वाणिज्यिक आरक्षित दर के दुगुने से तथा सेकण्ड फ्लोर एवं थर्ड फ्लोर की शास्ती व्यवसायिक आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 30.10.12 का कार्यवाही विवरणः–

क्रम संख्या	भूखंड संख्या एवं योजना का नाम	प्रार्थी का नाम	विवरण	समिति निणर्य
11.	भ.अ/92/2012–2013 69, सर्वऋतु विलास, उदयपुर	श्री अनिल एवं योगेश मेहता पिता श्री जसवन्त लाल मेहता	मौके पर उक्त भूखंड में भूतल + प्रथम मंजिल पार्ट भवन बना हुआ है व भवन में प्रार्थी द्वारा निवास भी किया जा रहा है। भूखंड का नाप 2400′–0′′ वर्ग फीट है। योजना अनुसार सेट बेक सामने से 12′–0′′ पीछे 5′–0′′ व साईड में 10′–0′′ छोडने का प्रावधान है। सामने रास्ता 25′–0′′ चौडा है। भवन करीब 30 वर्षो पुराना होकर कोई उजरदारी भी प्राप्त नहीं हुई है एवं प्रकरण सिटी वॉल के अदर का है प्रार्थी द्वारा बने भवन का नियमन कराते हुए प्रथम तल निर्माण की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए एवं गैराज की जगह कमरे की शास्ती 5000/– रूपये एवं गैराज के ऊपर के कमरे की शास्ती 3000/– रूपये वसूल किये जाकर नियमन किया जावे। बाद नियमन प्रकरण को भवन निर्माण समिति में प्रेषित किया जावे।
12.	भ.अ/95/2012–2013 71, सर्वऋतु विलास, उदयपुर	श्री देवी लाल मेहता पिता श्री ख्याली लाल मेहता	मौके पर उक्त भूखंड में भूतल + प्रथम मंजिल पार्ट भवन बना हुआ है व भवन में प्रार्थी द्वारा निवास भी किया जा रहा है। भूखंड का नाप 2400′–0′′ वर्ग फीट है। योजना अनुसार सेट बेक सामने से 12′–0′′ पीछे 5′–0′′ व साईड में 10′–0′′ छोडने का प्रावधान है। सामने रास्ता 25′–0′′ चौडा है। भवन करीब 30 वर्षो पुराना होकर कोई उजरदारी भी प्राप्त नहीं हुई है एवं प्रकरण सिटी वॉल के अदर का है प्रार्थी द्वारा बने भवन का नियमन कराते हुए प्रथम तल निर्माण की स्वीकृति हेतू प्रस्तुत किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से तथा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए एवं गैराज की जगह कमरे की शास्ती 5000/– रूपये एवं गैराज के ऊपर के कमरे की शास्ती 3000/– रूपये वसूल किये जाकर नियमन किया जाता है। बाद नियमन प्रकरण को भवन निर्माण समिति में प्रेषित किया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 30.10.12 का कार्यवाही विवरणः–

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 15 दिन में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांकः– नपउ/भ.वि/12–13/
दिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2 श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमेान् जिला कलक्टर, उदयुपर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति.....समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8. .....शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 30.10.12 का कार्यवाही विवरणः–